


कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर (म.प्र.)

सीहोर दिनांक: 13/9/2019

—:आदेश:—

क्रमांक / 115 / भू-अर्जन / 2019 :- "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के तहत मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना "भोपाल-इन्दौर 6 लेन, एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रेस वे एवं पश्चिम दक्षिण भोपाल बायपास ग्रीनफील्ड" निर्माण के लिये जिला सीहोर के अनुविभाग सीहोर स्थित भूमि के अर्जन की कार्यवाही हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के प्रस्ताव के आधार पर अधिनियम की धारा '4' के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप 'क' में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। गठित समिति शीघ्रतिशीघ्र सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करेगी।


कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)


पृ. क्र. / 116 / भू-अर्जन / 2019

सीहोर दिनांक : 13 / 9 / 2019

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. उपमहाप्रबंधक (बीओटी), मध्यप्रदेश सडक विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। *Shri Sampay Joshi*

NISC for Collectorate See home website


कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सीहोर (म0प्र0)


पत्र क्रमांक... ३१/२२.३.२०१९

सीहोर, दिनांक... 13/09/2019

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाही है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

(1)	परियोजना का विकासक का नाम	मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462011
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	भोपाल-इंदौर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य।
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	
(क)	गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक	1. श्री राहुल सिंह, सीहोर 2. श्री रघुवर दयाल गोहिया जनप्रतिनिधी
(ख)	यथास्थिति पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका के प्रतिनिधि	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीहोर 2. राजेश जांगडे सरपंच बिलकिसगंज सीहोर
(ग)	पुनर्व्यवस्थापन के दो विशेषज्ञ -	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर 2. तहसीलदार सीहोर
(घ)	तकनीकी विशेषज्ञ (कंसलटेंट) -	श्री मुन्ना कुमार (फीडबैक कन्सल्टेंसी)
(ड)	अध्यक्ष -	आदित्य कुमार जैन अनुविभागीय अधिकारी सीहोर
(4)	भूमि के विवरण	
	(क) जिला	सीहोर
	(ख) तहसील	सीहोर
	(ग) ग्राम	काहरी जदीद, शिकारपुर, खुटियाखेड़ी, बिलकिसगंज, बरखेड़ा बाजायपत, इमलीखेड़ा, गेरुखान, पाटनी, शागोनी, भोजनगर, गादिया, खुरनिया
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	
	(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	रकबा 160.44 हेक्टेयर


अनुविभागीय अधिकारी
सीहोर जिला सीहोर

(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जिला रायसेन मण्डीदीप के समीप ग्राम इटायाकलॉ से प्रारंभ होकर देवास जिले के ग्राम कर्नावद तक (लंबाई 146.88 कि.मी.)
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जिला-सीहोर, तहसील-सीहोर के क्रमांक 4 (ग) में दर्शाये गये ग्राम।
(7)	क्या ग्राम सभाओ और /या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	आवश्यकता नहीं।
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	दिनांक 12-09-2019

10/9/19

अनुविभागाध्यक्ष अधिकारी
सीहोर जिला सीहोर

[Signature]
कलेक्टर
जिला-सीहोर